न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 23/2017

उनवान

1. किशना पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद
— — वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. पानी पत्नि स्व0 गंगाराम
2. लाला,
3. काना,
4. कमला,
5. कानी पि0 स्व गंगाराम,
6. सुवा पि रघुनाथ,
7. किशन,
8. दयाल,
9. गोपाल,
10. सायरी,
11. भंवरी समस्त जाति गुर्जर ग्राम लवेरा, नसीराबाद
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार

— — प्रतिवादी :– 1 से 11 अनुपस्थित
12 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 131 भू राज0 अधि0 1956 .

–: निर्णय :– दिनांक :– २०.५.१९

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 771, 772, 520, 536 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। उक्त खसरा नम्बर पुराने राजस्व मानचित्र सन् 1970–71 में सही रूप से अंकित है। किन्तु हाल आधार जमाबंदी बनाते समय खसरा नम्बर 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 वादी व उसके परिवार की खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा की की तरफ स्थित हाल खसरा नम्बर 1953, 767 की भूमि जो पुराने खसरा नम्बर 773 पुराने नक्श ट्रेस में स्थित थी को वर्तमान नक्श में स्थिति को परिवर्तित करते हुये सडक के पूरब दिश की ओर स्थित भूमि को पश्चिम दिशा मे गलत लाईन अंकन कर जगह बदल दी है। एवं वादी व उसके परिवार की भूमि को उत्तर

---2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

की लम्बाई – चौडाई को कम कर दी जिसका बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार नही था। अतः वर्तमान नक्शे में दुयसती की वादग्रसत आाजी की स्थिति पूर्व नक्शे अनुसार दर्ज की जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेन किया कि उक्त खसरा नम्बर बाबत कों वाद नही है। वादी अपनी जगह काबिज है एवं प्रतिवादीगण अपनी जगह काबिज है। नक्शा व जमाबंदी सही अंकित है। वर्तमान नक्शे में क्या त्रुटि हुयी है यह वादी ने स्पष्ट नही किया है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्त योग्य है ?
   –– वादी
2. आया वाद अस्पष्ट तथ्यों पर आधारित होने से खरिज योग्य है ?
   –– प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं नन्दा व किशना की साक्ष्य करवायी।

वाद विचारण के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 11 अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

खसरा नम्बर 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018 वादी व उसके परिवार की खातेदारी भूमि है हाल खसरा नम्बर 1953 जिसके पुराने खसरा नम्बर 773 है प्रतिवादीगण की भूमि है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 773 पराने राजस्व मानचित्र में मुख्य सडक के दक्षिण दिशा में स्थित थी। किन्तु उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 1953 को मुख्य सडक के उतर दिशा की तरफ अंकित कर दिया है। प्रतिवादीगण का कथ है कि वादी ने अपने वाद में स्पष्ट नही किया है कि हाल नक्शे में क्या त्रुटि हुयी है किन्तु पूर्व व हाल नक्शे का मिलानल करने पर स्पष्ट होता है कि बंदाबस्त विभाग ने हाल राजस्व मानचित्र में वादग्रस्त आराजी की दिशा व सीमाये परिवर्तित कर दी है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।**

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में ऐसा कोई खण्डन पेश नही किया है जिससे वादी के कथन मिथ्या प्रतित होते हो साथ ही प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है।

अतः ग्राम लवेरा के खसरा नम्बर 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 767, 1953 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व वर्किंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

किशना बनाम पानी

दावा बाबत :– 88, 89, 188 राज. का. अधि0 1955, 131 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 23/2017
पेश करने की दिनांक – 15.2.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लवेरा के खसरा नम्बर 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 767, 1953 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व वर्किंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २० माह 5 सन् **2019** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजहे सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner